

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 14/2019

अपीलान्ट्स

पप्पूसिंह पुत्र राणीदानसिंह, निवासी— हाल वनखण्ड बेरीगंगा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 22.8.2017 न्यायालय सहायक वन संरक्षक जोधपुर जो प्रकरण संख्या 6/2017 सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम पप्पूसिंह पुत्र राणीदानसिंह को सहायक वन संरक्षक द्वारा धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट अभिभाषक बावजूद इत्तला के अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

—: आदेश :- दिनांक :-24.09.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 22.08.2017 न्यायालय सहायक वन संरक्षक जोधपुर जो प्रकरण संख्या 6/2017 सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम पप्पूसिंह पुत्र राणीदानसिंह को सहायक वन संरक्षक द्वारा धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया के विरुद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया है।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

यह अपील सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के यहां दिनांक 22.01.2018 को प्रस्तुत की गई। श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 11.01.2019 को इस न्यायालय में सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमित सुनवाई प्रारम्भ की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक दिनांक

23.01.2019 को उपस्थित हुए तथा बहस हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया। समय दिये जाने के बाद अपीलार्थी अभिभाषक को कई बार टेलीफोनिक सूचना दी गई लेकिन वह आदिनांक तक बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। प्रस्तुत अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

अपीलार्थी ने अपनी प्रस्तुत अपील में यह कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोजेन्ट को किसी प्रकार का नोटिस/सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध है। अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी को खसरा नं0 1405 तहसील व जिला जोधपुर की 1000 वर्गफीट पर अतिक्रमण करने व गैर कानूनी कब्जा करना दर्शाया गया है जो गलत है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त भूखण्ड पर अपीलार्थी व उसका परिवार करीब तीन पीढ़ियों से और 40 से अधिक वर्षों से निवास कर रहा है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह भी कथन किया है कि वर्ष 2013 में खसरा नं0 1405 में से मात्र 182 बीघा भूमि का आवंटन वन विभाग को किया गया लेकिन तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी ने अपनी मनमर्जी से पूरे खसरे का ही वन विभाग के नाम म्यूटेशन भर दिया जबकि सरकारी आदेश अनुसार 182 बीघा भूमि का ही म्यूटेशन दर्ज करना चाहिए था। उक्त 182 बीघा में वन भूमि की जमीन कौनसी है यह बिना तरमीम के पता नहीं चल सकता लेकिन वनविभाग ने पूरी जमीन अपने नाम करवा दी। जो विधि विरुद्ध है।

अपीलार्थी उक्त पते पर निवासी होना न केवल सरकारी सर्वे में दर्शाया गया है अपितु अपीलार्थी वहाँ का मूल-निवासी व मतदाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने अपने अनेक न्यायिक दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया है कि यदि लम्बे समय से किसी व्यक्ति का कब्जा है तो उसे नहीं हटाया जा सकता बल्कि उसके खिलाफ बेदखली का दावा करके एवं वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर ही बेदखल किया जा सकता है। उक्त खसरे में बिजलीघर, पन्नालाल गौशाला एवं कई व्यक्तियों के नाम जमीन का आवंटन हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थी को बेदखल कर दिया जाता है तो उसके समानता के अधिकार का हनन होगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पोजेन्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधि के विधान के अनुसार समस्त प्रक्रिया अपनाकर ही पारित किया है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी को जारी नोटिस उसकी पत्नी गुड्डी कंवर ने लिया तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी पप्पूसिंह स्वयं दिनांक 29.06.2017 को उपस्थित हुआ। अपीलार्थी का यह भी कथन गलत है कि खसरा नं0 1405 पर 1000 वर्गफीट से अधिक की भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण के रूप में कब्जा कर रखा है लेकिन अपीलार्थी को वन भूमि पर कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकॉर्ड का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया जो उसकी पत्नी गुड्डीकंवर द्वारा लिया गया तथा अपीलार्थी पप्पूसिंह स्वयं दिनांक 29.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन अपीलार्थी ने अपने कब्जे बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। उक्त विवादग्रस्त भूमि ग्राम मण्डोर के खसरा नं 1405 में वन विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 12.07.1961 के अनुसार कुल 782.17 बीघा गैर मुमकिन भाखर की जारी की गई है। इसी के आधार पर पटवारी हल्का ने वन विभाग जोधपुर के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अमल-दरामद किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हम नहीं पाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त सारहीन होने से एतद् खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

